कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -2491 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 30/04/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अंतर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.95 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– **प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक– 390/FP/UK/ROAD/66802/2020 दिनांक 05.08.2022**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़, के पत्रांक– 6395/12–1 दिनांक– 16.04.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– (तीन प्रतियों में)।

भवदीय

o/c

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

अग्रिम कार्यवाही।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

24 APR पत्रांकः— 6395/12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 16 अप्रैल, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.95 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।

संदर्भः— प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी का पत्रांक 390/FP/UK/ROAD/66802/2020 देहरादून दिनांक 05 अगस्त 2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लिखित कमियों का प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नवत निराकरण कर आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नवत हैः—

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं उप खण्ड स्तरीय समिति एवं जिलाधिकारी के प्रपत्रों में तिथि अंकित नहीं की गई है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं उपखण्ड स्तरीय समिति तथा जिलाधिकारी के प्रपत्रों में तिथि पूर्व से अंकित हैं।
2	प्रस्ताव में विषयसूची अंकित नहीं की गई है, विषयसूची पृष्ठ संख्या अंकित करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में पूर्व से ही विषय सूची संलग्न हैं।
3	प्रस्ताव मे भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग—3 प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग—3 संलग्न कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव मे संलग्न प्रपत्र 15.6 में सूचना अंकित नहीं है व संबन्धित के हस्ताक्षर भी अपेक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 15—6 में सूचना पूर्व से अंकित है। एवं सम्बधित के हस्ताक्षर भी पूर्व से अंकित है।
5	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना एवं मलवा निस्तारण स्थलों को दर्शाते हुये मानचित्र संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में मलुवा निस्तारण योजना पूर्व से संलग्न है, एवं मलुवा निस्तारण स्थलों को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न कर प्रेषित हैं।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 19 में राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी 9.00 किलोमीटर होने की दशा में मुख्य वन्य प्रतिपालक की संस्तुति / अनापत्ति प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में संलग्न पत्र 19 में राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव व प्रतिपालक की संस्तुति/अनापत्ति प्रस्ताव में पूर्व से संलग्न है
7	प्रस्ताव में वर्तमान निर्धारण दरों के अनुसार आस—पास रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना संलग्न करे ।	100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना तैयार कर अपलोड कर संलग्न कर प्रेषित है।
8	प्रस्ताव में संलग्न प्रस्तावित स्थल का डिजिटल मानचित्र अपुर्ण एवं आधा कटा हुआ संलग्न किया गया है। कृपया पूर्ण मानचित्र संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन आई०टी० एवं आधुनिकीकरण, वन भवन 85/87 राजपुर रोड़ उत्तराखंड, देहरादून से वार्ता की गई। जिसमें उन के द्वारा अवगत कराया गया कि डिजिटल मानचित्र हेतु 62 BII टोपोशीट उपलब्ध नहीं हैं, जिस कारण यह मानचित्र पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

	[illegible] के प्रपत्र 12 में प्रस्तावित मोटर मार्ग में [illegible] हे0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है। अतः [illegible]मि के समस्त भू–स्वामियों से हेक्टेयरवार विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव मे संलग्न करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव मे प्रपत्र 12 में प्रस्तावित मोटर मार्ग में 6.840 हे0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है, जिसे में भू–स्वामियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न कर अपलोड कर दिया गया है। मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात भू–स्वामियों का हेक्टेयरवार विवरण दिया जाना संभव होगा।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्र 04 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।